न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरौठा, झाँसी।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 377 / 2022

सरकार बनाम श्रीमती केश कुमारी ।

धारा- 60 आबकारी अधिनियम
थाना- गुरसरांय, जिला- झांसी।
मु. अ. सं. 09/ 2022

दिनांक- 17. 10. 2022-

जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थिया/ अभियुक्ता **श्रीमती केश कुमारी पत्नी शंकर दयाल कबूतरा** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या- 09/ 2022 अन्तर्गत धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम थाना- गुरसरांय, जिला- झांसी के प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्ता न्यायिक अभिरक्षा में है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये कथन किया गया है कि अपराध जमानतीय है।

प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिया/ अभियुक्ता को रंजिशन व झूठा फंसाया गया है, उसने कोई आपराध नहीं किया है। प्रार्थिया/ अभियुक्ता के विरुद्ध घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थिया/ अभियुक्ता से किसी प्रकार की बरामदगी नहीं हुई है। प्रार्थिया/ अभियुक्ता उचित राशि का मुचलका देने को तैयार है। उक्त आधारों पर प्रार्थिया/ अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता व सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थिया/ अभियुक्ता के कब्जे से नाजायज शराब बरामद किये जाने का अभियोग है।

अतः उक्त मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थतियों को दृष्टिगत रखते हुए आधार जमानत पर्याप्त है।

आदेश

जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थिया/ अभियुक्ता **श्रीमती केश कुमारी पत्नी शंकर दयाल कबूतरा** को **मु० बीस हजार रूपये** का व्यक्तिगत बन्ध पत्र व इसी धनराशि के **दो प्रतिभू** प्रस्तुत करने जमानत पर रिहा किया जावें।

(सुनील शेखर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गरौठा, झाँसी।